संख्या22/2015/4150/12-2-2015-बजट.1/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/ रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1314/कृ0र0/छ-1/की0रो0नि0यो0/ 2015-16 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015, पत्र संख्याः 1788/कृ0र0/ठ-1/की0रो0नि0यो0/ 15-16 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्याः 1486/12-2-2015-बजट.1/ 2009 दिनांक 13 मई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्षक 2401-कृषि कर्म-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 309510 हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 154755 हजार (रूपये पन्द्रह करोड सैंतालिस लाख पचपन हजार मात्र) की नियमानुसार व्यय हेतु (संलग्न विवरण के अनुसार) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहाँ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. कृषि रक्षा यंत्रों पर देय अनुदान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 820/12-2-2015-61/2012 दिनांक 31 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्याः 3544/12-2-2012 दिनांक 05 नवम्बर, 2012 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-कृषि कर्म-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अतः इसमें निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

संख्याः /2015/ 4150 (1)/12-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/ अनुभाग-3
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: /2015/ 4150 /12-2-2015-बजट.1/2009 दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	विषय	विवरण
1	योजना का नाम	2401-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
2	वित्त पोषण	उत्तर प्रदेश।
3	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण संक्षेप में।	बायोपेस्टीसाइड/बायो एजेन्ट का उत्पादन, लघु एवं सीमान्त कृषकों को बायोपेस्टीसाइड के वितरण पर 75 प्रतिशत अनुदान, बीज शोधन हेतु बीज शोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान, लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान, लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान, लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान एवं कृषकों एवं तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं कीट रोग के प्रकोप को सर्वेलेन्स द्वारा प्रबंधन एवं रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का प्रस्ताव है।
4	नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/ भारत सरकार/ आर0 के0वी0वाई में एस0एल0 एस0 सी0/मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, परियोजना अवधि, लागततथा बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	शासन के पत्र संख्या: 2425/12-2-2012-बजट.1/2009 दिनांक 31 अगस्त, 2012 द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-17) की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
5	परिव्यय	309510 हजार
6	केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैय/अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित।	शून्य
7	केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि	शून्य
8	योजना हेतु वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	309510हजार
9	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ तथा व्यय की धनराशि	प्रथम छमाही हेतु प्राप्त धनराशि-रू0 154755हजार व्यय की धनराशि- रू0 40239 हजार
10	चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	जारी धनराशि- रू0 280000 हजार सम्भावित व्यय- रू0 254419 हजार
11	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म - आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
	मानक मद	मांगी जा रही वांछित धनराशि हजार रू0 में
	02-मजदूरी	3150.00
	04-यात्रा व्यय	1100.00
	08-कार्यालय व्यय	800.00
	09-विद्युत देय	1125.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	755.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	750.00
	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1915.00
	27-सब्सिडी	120650.00
	29-अनुरक्षण	1855.00
	42-अन्य व्यय	4870.00
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	13500.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2850.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	735.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	700.00
	योग	154755

(रूपये पन्द्रह करोड सैंतालिस लाख पचपन हजार मात्र)

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।